माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त वाणिज्य–कर मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमस एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उद्योग प्रक्षेत्र से संबंधित बजट पूर्व बैठक में दिनांक 8 फरवरी 2021को समर्पित प्रमुख बिन्दुएं

उद्योग से संबंधित मामले

1. राज्य में उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की Mid term समीक्षा उपरांत कुछ संशोधन GST प्रतिपूर्ति के लिए किया हैं जिसका हम स्वागत करते हैं।

   जुलाई 2017 से देश में GST लागु होने के उपरांत वैट प्रतिपूर्ति के स्थान पर GST प्रतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा नीति निर्धारित होने के बावजुद भी इससे संबंधित भुगतान (Reimbursement) नही होने की वजह से 2017 जुलाई से ही GST प्रतिपूति का क्लेम अभी तक बाकी है। अत: विगत् 41 महीने के क्लेम हेतु भी 2021-22 के बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

   हमारा सरकार से सुझाव होगा कि गत् वर्ष 915.85 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया था अत: अनुरोध है कि 2021-22 के बजट में कम से कम 2000 करोड़ रू० किया जाये ताकि उद्योगों के दावों के निपटारे में विलंब न हो ।

2. उद्यमियों के प्रोत्साहन राशि से संबंधित जो भी लंबित मामले हैं उनका निपटारा शीघ्रातिशीघ्र किया जाए क्योंकि इससे राज्य के उद्यमियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

3. **औद्योगिक विकास निधि का गठन हेतु बजट में प्रावधान**

   राज्य में अवस्थित कार्यरत एवं नवीन उद्योगों के विकास हेतु सरकार को हमारा सुझाव है कि राजय में एक औद्योगिक विकास निधि का गठन किया जाएं इस निधि के फंड का उपयोग राज्य में उद्योगों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास, सीड पूंजी की उपलब्धता, कार्यरत उद्योगों के उन्नयन, रूग्ण एवं bankruptcy के तहत आए MSME उद्योगों को पूर्नजीवित करने हेतु किया जाना चाहिए।

   इस निधि का गठन 1000 करोड़ रूपये के आरंभिक शुरूआत के साथ किया जाना चाहिए एवं उसके उपरांत प्रत्येक वर्ष 250 करोड़ रूपये की राशि की वृद्धि की जानी चाहिए।

क्रमश:.....2

4. **<u>उद्योग के भूमि के संबंध में :–</u>**

i. विगत कुछ वर्षो में राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के अपने भूखंड के MVR का पुनर्रीक्षण करते हुए भूखंड की दरें निर्धारित की है । औद्योगिक भूखंड के लिए अलग से कोई MVR का दर निर्धारित नहीं है । उक्त परिपेक्ष में हमारा सुझाव है कि औद्योगिक भूखंड का अलग वर्गीकरण करते हुए अलग MVR का निर्धारण हो जो कृषि योग्य भूमि के लिए निर्धारित MVR के आस–पास हो ।

ii. बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :–

– भूमि बैकों की स्थापना किया जाए ।

– बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे ।

– ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना किया जाए ।

– औद्योगिक उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जगह–जगह पर इलाकों की चिन्हित कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगा जिससे कि Promoter एवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें ।

– नई औद्योगिक इकाईयॉ यदि अपनी आवश्यकता का 50% या 60% या 70% से अधिक जमीन की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लेती हैं तो बाकी बचे जमीन हेतु बगल में यदि गैर–मजरूआ जमीन हो तो उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है । यदि जमीन की और आवश्यकता शेष रह जाती है तो उसे भी सरकार बाजार दर पर जमीन अधिग्रहण कर उद्यमी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है ।

5. औद्योगिक क्षेत्र में जिस प्रकार से विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन किया जाता है । उसी प्रकार से सर्विस सेक्टर यथा – होस्पिटल, आई.टी. आदि के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित किया जाना चाहिए ।

6. **<u>राज्य सरकार तथा इसके विभिन्न उपक्रमों में होनेवाली खरीद में स्थानीय उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के संबंध में :–</u>**

राज्य में उत्पादित सामग्रियों की सरकार के साथ–साथ सरकर के उपक्रम, सरकार द्वारा गठित एजेंसी सबसे बड़े खरीददार होते हैं । स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर सामग्री खरीद अधिमानता नीति बनायी जाती रही है । लेकिन स्थानीय इकाइयों को सरकार द्वारा घोषित सामग्री

क्रमश:.....3

खरीद अधिमानता नीति का लाभ स्थानीय उद्यमियों को नहीं मिला पा रहा है । ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय उद्योगों को रोकने के लिए निविदा में Experience एवं Turn Over की शर्त्तें लगा दी जाती है जिससे स्थानीय उद्योग वंचित रह जाते हैं । अत: यदि कोई विभाग द्वारा सरकार की खरीद नीति का पालन नहीं किया जाता है तो दण्ड का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है ।

7. **एमएसएमई के भुगतान को प्राथमिकता देना**

ग्राहकों से देरी से भुगतान प्राप्त होने पर एमएसएमई के सामने वित्तीय समस्या गंभीर हो जाती है । अत: जिस प्रकार से वस्तुओं की आपूर्ति में बिलम्ब होने पर बिलम्ब शुल्क लिया जाता है उसी प्रकार से भुगतान में बिलम्ब होने पर भी बिलम्ब शुल्क एवं दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

8. **बैंकों का नकारात्मक रवैया:–**

राज्य में निजी व्यापारिक अथवा राष्ट्रीयकृत बैक ऋण देने में काफी उदासीन भावना रखते हैं क्योंकि उनको ऐसी आशंका रहती है कि राज्य में अवस्थित किसी भी उद्योग को दिये जाने वाला ऋण का वापस भुगतान प्राप्त नही होगा। इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। राज्य में स्थित बैंक सिर्फ जमा एकत्र करने के केन्द्र के रूप मे विकसित हो रहे हैं, उन्हे राज्यहित में ऋण देने के कार्य में कोई दिलचस्पी नही है ।

राज्य में जमा धनराशि का प्रयोग इन बैकों द्वारा अन्य राज्यों में ऋण देने में किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप, राज्य में CD Ratio राष्ट्रीय औसत से काफी कम है । सरकार को रिजर्व बैक अथवा अन्य माध्यम से इन बैकों पर दबाव बढ़ाकर राज्य में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहिए, और असहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले बैंकों को सरकारी जमा से वंचित किया जाना चाहिए ।

i. 20 से अधिक पब्लिक सेक्टर बैंक होने के बावजूद एक भी बैंक का हेड क्वार्टर बिहार में स्थित नहीं होने के कारण भी बैंकों से ऋण मिलने में कठिनाई होती है अत: इस संबंध में सरकार के स्तर पर वार्ता कर कम–से–कम एक पब्लिक सेक्टर बैंक का हेट क्वार्टर बिहार में रखने का आग्रह किया जाना चाहिए ।

9. **चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति तैयार किये जाने हेतु निवेदन**

बिहार के सीमांचल जिलों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती हो रही है । इसलिए चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति होनी चाहिए ।

क्रमश:.....4

10. <u>सोलर पावर के प्रश्रय हेतु सब्सिडी</u>

सरकार ने राज्य में सरकारी, गैर–सरकारी अथवा निजी भवनों के छत पर सोलर पैनल लगाकर उर्जा के वैक्लपिक श्रोत के रूप में अत्यधिक बढ़ावा देने हेतु लागत की 55% सब्सिडी अनुदान के रूप में देने की योजना लागु की थी।

हमारा सुझाव होगा कि उक्त योजना को लागू रखना चाहिए और इसका अत्यधिक प्रचार–प्रसार करने की भी जरूरत है ताकि लोग योजना का लाभ उठा सके।

11. <u>खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उत्पाद के निर्यात हेतु संस्था का गठन</u>

हमारा राज्य उपजाउ भूमि एवं मेहनतशील श्रम उपलब्ध रहने की वजह से खेती पर विशेष आश्रित है और इसके विकास की अपार संभावनाएँ भी विद्यमान है।

राज्य में फल, सब्जी, खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उत्पादों का निर्यात करके अर्थव्यवस्था में काफी योगदान प्राप्त किया जा सकता है।

इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि राज्य में निर्यात की सुविधा प्रदान करने हेतु एक सहयोग संस्था का गठन किया जाये ताकि जरूरतमंद लोगों को उनके उत्पादों के निर्यात हेतु आवश्यक जानकारी एवं सुविधा प्रदान की जा सके। इस संस्था की शाखाएँ क्षेत्रवार स्थापित की जानी चाहिए ताकि लोगों को अपने स्थान के नजदीक में ही सुविधा उपलब्ध हो सके।

12. <u>विद्युत संबंधित</u>

विगत् वर्षों में राज्य में विद्युत की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है और अब विद्युत ना रहने की वजह से उद्योग एवं व्यापार को हो रही दिक्कतों में काफी हद तक कमी आयी है। जिसके लिए हम सरकार के प्रयासों की भूरी–भूरी सराहना करते है।

लेकिन हमारे राज्य में वर्त्तमान में लागू विद्युत दर काफी अधिक है और पड़ोसी राज्यों यथा झारखंड एवं बंगाल से तुलना की जाए तो यह दर 1½ से 2 गुणा अधिक होती है। उँची बिजली की दर की वजह से राज्य में अवस्थित उद्योगों की उत्पादन लागत पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा अधिक आती है और इस वजह से पड़ोसी राज्यों से आकर उत्पाद बिहार में बिक रहा है एवं राज्य के उद्योग बंदी की कगार पर आ रहे है।

इस संदर्भ में हमारा सरकार से सुझाव एवं आग्रह है कि बिजली की दर को पूर्णनिर्धारण करके पड़ोसी राज्यों के समकक्ष किया जाये अथवा उद्योगों को सब्सीडी के रूप में सहयोग राशि दी जानी चाहिए ताकि उद्योगों को बचाया जा सके।

13. उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद ने लॉकडाउन के कारण कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों पर पड़नेवाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए श्रम अधिनियमों में 3 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है अत: उत्तर प्रदेश की भांति बिहार में भी इसे लागू किया जाना चाहिए जिससे कि राज्य के उद्यमियों को कुछ राहत मिल सके ।

क्रमश:.....5

14. बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से लीज पर दिए गए जमीनों को (MVR) सर्किल रेट का 10% राशि लेकर फ्री होल्ड किया गया है । अत: बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को भी लीज होल्डर को आवंटित भूमि का एक निर्धारित समय के बाद फ्री होल्ड किया जाना चाहिए । इस तरह का प्रावधान कई राज्यों में पहले से है ।

राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए बियाडा द्वारा जो जमीन का आवंटन किया जाता है उसका Rate कम किया जाना चाहिए । इसकी दर कृषि क्षेत्र की भूमि से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

15. **<u>दिल्ली की भांति बिहार में भी सर्किल रेट को कम करने के संबंध में</u>**

दिल्ली की भांति बिहार में भी रियल स्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आवासीय/व्यवसायिक / औद्योगिक प्रोपटी की खरीद पर सर्किल रेट को कम किया जाना चाहिए । इससे प्रोपर्टी की खरीद–बिक्री में बड़ी उछाल आएगी जिससे इस सेक्टर को तो बढ़ावा मिलेगा ही सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी ।

16. उद्योग की स्थापना, विकास एवं उन्नति के लिए पूंजी का होना अति आवश्यक है । पूंजी चाहे Term Loan हो, Working Capital हो या अन्य वित्तीय सुविधाएं हो, सभी बैंकों द्वारा ही दिया जाता है । बैंकों से ऋण के लिए उनके साथ Agreement/ Hypothecation /Mortgage document बनाया जाता है । 1 अगस्त 2012 के पूर्व बैंक से Loan document पर Hypothecation चार्ज 290/- रूपया प्रति हजार लगता था यानि यदि बैंक से कोई 10 करोड़ का ऋण लेता था तो उसे 2,90,000/- Stamp Duty लगता था ।

सरकार ने इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बिहार गजट नोटिफिकेशन न० 1/M-148/2011-1959 दिनांक 01.08.2012 के द्वारा Hypothecation के मामले में अधिकतम एक मुश्त 5000/- तथा Mortgage के मामले में एक मुश्त अधिकतम 20,000/- दिनांक 01.08.2012 से किया गया । लेकिन पुन: 21.07.2016 के प्रभाव से बिहार गजट नोटिफिकेशन संख्या 10/MO-Vividh-36/2016-3428 के द्वारा Hypothecation के मामले में बढ़ाकर 10 करोड़ तक के लिए 1,00,000/-, 10-50 करोड़ तक के लिए 3,00,000/- एवं 50 करोड़ से उपर के लिए 5,00,000/- निर्धारित किया गया है जो कि 21.07.2016 के पूर्व 5000/- था । अत: अनुरोध है कि Hypothecation charge को पूर्व की भांति किया जाना चाहिए ।

17. राज्य में उद्योगों के विकास हेतु **एकल खिड़की प्रणाली** (Single Window System) को और सुदृढ़ बनाया जाए एवं सभी आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति एक समय सीमा के अन्दर किया जाना चाहिए ।

18. राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने हेतु जिस क्षेत्र में जिस तरह के उत्पाद उपलब्ध है उनका कलस्टर डेवलप करने पर जोर दिया जाना चाहिए ।

क्रमश:.....6

19. राज्य के सर्विस सेक्टर को भी प्रायरिटी सेक्टर में रखा जाना चाहिए ।

20. <u>बाढ़ को नियंत्रण से संबंधित सुझाव</u>

नॉर्थ बिहार में प्रत्येक साल आनेवाले बाढ़ के कारण घर–मकान, फसल, घरेलू एवं जंगली मवेशी, रेल लाइन एवं पुलों का भारी नुकसान होता है जिसकी कीमत कई करोड़ो में होती है । अतः इस संबंध में भारत सरकार एवं नेपाल सरकार के बीच समन्वय बनाकर डैम का निर्माण कराकर पनबिजली बनाया जा सकता है जिसकी खरीद भारत सरकार एवं नेपाल सरकार कर सकती है । साथ ही भावी समय में पंजाब की भांति नहर बनाकर वैसे क्षेत्रों में पानी पहुँचाया जा सकता जहॉ पर पानी की कमी रहती है । इससे कृषि कार्य में काफी मदद मिलेगी ।

21. <u>पर्यटन संबंधित</u>

हमारे राज्य में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के श्रद्धालुओं की रूचि को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने की नितान्त आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में विशेष

प्रयास करना चाहिए। सरकार ने प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर जिस तरह की व्यवस्था एवं भागीदारी की थी वो पूरे देश भर में सिख श्रद्धालुओं द्वारा सराही गयी थी और काफी संख्या में श्रद्धालुगण पटना अथवा राजगीर पधारे थे।

2020 -21 के केन्द्रीय बजट में केन्द्र सरकार ने देश के पांच जगहों का Iconic Tourist Spot के रूप में चयन किया है । दुर्भाग्यवश बिहार के किसी पर्यटन स्थल को उसमें शामिल नही किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि बिहार के निम्नलिखित स्थलों यथा पावापुरी, काकोलत, बिक्रमशिला भागलपुर गया, नंदनगढ़, लौरिया बेतिया, केसरिया, बराबर की गुफा, सीतामढ़ी को भी पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाना चाहिए।

इस हेतु सरकार की ओर से बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को पर्याप्त राशि उपलब्ध करानी चाहिए, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए । साथ ही PPP mode पर Tourist Sopt को विकसित करने हेतु नई–नई स्कीम दी जानी चाहिए।

22. बिहार में काफी संख्या में असम, नेपाल, भूटान, सिक्कम आदि से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं । अतः इस क्षेत्र के और विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिससे कि राज्य में मेडिकल टूरीज्म का समुचित विकास हो सके ।

23. एमएसएमई के लिए Regulatory compliance आवश्यकता को सरल बनाया जाना चाहिए ।

क्रमशः.....7

24. स्टार्ट–आप की भांति नई सूक्ष्म इकाईयों को तीन साल के निरीक्षण से छूट प्रदान की जानी चाहिए ।

25. स्व–प्रमाणन के आधार पर प्रलेखन (Documentation) को प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

26. भूमि की कीमत काफी अधिक हो गई है इसलिए Mini Industrial Estate एवं Private Industrial Park के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

27. एमएसएमई के लिए Social Security Scheme लाया जाना चाहिए ।

****